उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 19–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2016–03–विविध(2ब)/2015 दिनांकः 20 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (जानपद) को अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या–4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/अभि0सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि सर्वश्री	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवंटित निगम/तैनाती कार्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवीन कुमार शर्मा 200529/बुलन्दशहर 31.05.2026	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद उपखण्ड, आगरा।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
2.	प्रवीण कुमार 200525/नयी दिल्ली 31.01.2031	सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
3.	रोशन कुमार राम (अनु0जा0) 200902/देवरिया 31.10.2043	सहायक अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, फैजाबाद।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

4– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900–प्रशि0–10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

6– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

7– उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
SHAKTI BHAWAN, 14, ASHOK MARG,
LUCKNOW-226001

Phone 2287787
फैक्स 0522-2287789
Fax 0522-2287789

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U. P. Power Corporation Limited
(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 19(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
4– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
5– मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
6– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8– अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– उप सचिव (प्रशिक्षण)/(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10– सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)
उप सचिव

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
SHAKTI BHAWAN, 14, ASHOK MARG,
LUCKNOW-226001
Phone 2287787
फैक्स 0522-2287789
Fax 0522-2287789